

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 18/2021

1. तुलसीराम पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी घेऊ त० भादरा।

:- वादी

ब नाम

1. प्रतापसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी घेऊ त० भादरा
2. विकास पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी घेऊ त० भादरा।
3. राजबाला पुत्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी घेऊ त० भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेश वैनीवाल : वादी

वकील श्री सतवीर वैनीवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 18-01-2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं 177/334 के खसरा सं 87 की 5.3750 है 0 कुल 5.3750 है 0 बाराणी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह के नाम 1/2 हिस्सा व रोही मौजा राखी के खाता सं 94/89 खसरा सं 165 की 7.0570 है 0, खसरा सं 167 की 1.7460 है 0, खसरा सं 172 की 13.1010 है 0 कुल 21.9040 है 0 बाराणी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 के नाम से 2/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता रामलाल की खातेदारी हुआ करती थी। रामलाल के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 4 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू तुलसीराम पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी घेऊ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम घेऊ प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा राखी प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत घेऊ प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक) भादरा

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने

पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तागत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम घेऊ, राखी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जगाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में प्रतापसिंह के दो पुत्र तुलसीरा व विकास व एक पुत्री राजवाला के अलावा अन्य कोई वारिस होना नहीं बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा घेऊ के खाता सं 177/334 के खसरा सं 87 की 5.3750 है 0 कुल 5.3750 है 0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 0 1 प्रतापसिंह के नाम 1/2 हिस्सा व रोही मौजा राखी के खाता सं 94/89 खसरा सं 165 की 7.0570 है 0, खसरा सं 167 की 1.7460 है 0, खसरा सं 172 की 13.1010 है 0 कुल 21.9040 है 0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 0 1 के नाम से 2/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादभूमि रोही मौजा घेऊ के खाता सं 177/334 के खसरा सं 87 की 5.3750 है 0 कुल 5.3750 है 0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 0 1 प्रतापसिंह के नाम 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी सं 0 1 प्रतापसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं 0 2 बहिस्सा बराबर के अनुसार व शेष वादभूमि में वादी व प्रतिवादी सं 0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादी सं 0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पत्ति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं 177/334 के खसरा सं 87 की 5.3750 है 0 कुल 5.3750 है 0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 0 1 प्रतापसिंह के नाम 1/2 हिस्सा में प्रतापसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं 0 2 बहिस्सा बराबर के अनुसार व रोही मौजा राखी के खाता सं 94/89 खसरा सं 165 की 7.0570 है 0, खसरा सं 167 की 1.7460 है 0, खसरा सं 172 की 13.1010 है 0 कुल 21.9040 है 0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 0 1 के नाम से 2/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज में से वादी व प्रतिवादी सं 0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं 0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 0 1 तुलसीराम व प्रतिवादी सं 0 1 प्रतापसिंह व प्रतिवादी सं 0 2 विकास का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-01-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




सह (सत्यनारायण) र
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएस

प्रकरण सं० : 18/2021

1. तुलसीराम पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी घेऊ त० भादरा।

:- वादी

ब न म

1. प्रतापसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी घेऊ त० भादरा
2. विकास पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी घेऊ त० भादरा।
3. राजबाला पुत्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी घेऊ त० भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं 177/334 के खसरा सं० 87 की 5.3750है० कुल 5.3750है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 प्रतापसिंह के नाम 1/2 हिस्सा में से प्रतिवादी सं० 1 प्रतापसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं० 2 बहिस्सा बराबर के अनुसार व रोही मौजा राखी के खाता सं० 94/89 खसरा सं० 165 की 7.0570है०, खसरा सं० 167 की 1.7460है०, खसरा सं० 172 की 13.1010है० कुल 21.9040है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 प्रतापसिंह के नाम से 2/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 तुलसीराम व प्रतिवादी सं० 1 प्रतापसिंह व प्रतिवादी सं० 2 विकास को हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

स. (सत्यनारायण) टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

